20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(8)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

नि/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/1436

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ (5)
द्वारा आज दि. 26-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 2-3-18 नियत।
26-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

धनीराम पुत्र श्री भोलूराम जाटव, निवासी ग्राम गिरगंवा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1- ज्ञानी पुत्र श्री रतना
2- परसराम पुत्र श्री रतना
3- किशना पुत्र श्री रतना
निवासीगण- ग्राम गिरगंवा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
4- गया पुत्री रतना पत्नी बाबू जाटव, निवासीगण ग्राम बेरखेडी,
5- मानो वेवा श्री रतना
6- देवेन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल गौड, निवासी ग्राम गिरगंवा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

बृजेन्द्र सिंह धाकड़
26/2/18

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.12.2017 पारित न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 840/2015-16/अपील।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, ग्राम गिरगंवा, स्थित भूमि सर्वे नम्बर 442 रकवा 0.12 हैक्टेयर एवं 343 रकवा 0.16 हैक्टेयर अनावेदक क्रमांक 1 स्वामित्व के होने से अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 15.02.1996 आवेदक के हित में सम्पादित कर कब्जा सौंप दिया गया व विक्रय अनुबंध दिनांक 15.02.1996 **अनेक्चर-पी-2** है।

2- यहकि, उक्त विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा न्यायालय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/1436

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण नामांतरण का है। आवेदक द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग प्रकरण में की गई है। अनुबंध पत्र के आधार पर नामांतरण की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस संबंध में विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है, वह अपने स्थान पर उचित हैं। जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है। इस प्रकार प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	